श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सहरसा।

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सहरसा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–651/2026

रामजी साह उर्फ रणजीत साह एवं 09 अन्य .....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी

09.06.2026 आवेदक/अभियुक्तगण 1. रामजी साह उर्फ रणजीत साह 2. जितेन्द्र कुमार उर्फ गंगू साह 3. अनिरूद्ध साह उर्फ अनिरूद्ध कुमार 4. संजय साह उर्फ संजय कुमार साह 5. रविश साह उर्फ रविश कुमार 6. दयानंद साह 7. रणवीर साह उर्फ रणवीर कुमार 8. प्रदीप साह उर्फ प्रदीप कुमार 9. साधू साह उर्फ साधन कुमार 10. भरत साह की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद बख्तियारपुर थाना कांड संख्या– 285/2025 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 118(1), 125, 109, 305, 329(3), 329(4), 351(2), 352 भा0न्याय0स0. के अंतर्गत दर्ज है।

सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 285/2025 में वांछित अभियुक्त 1. रामजी साह उर्फ रणजीत साह 2. जितेन्द्र कुमार उर्फ गंगू साह 3. अनिरूद्ध साह उर्फ अनिरूद्ध कुमार 4. संजय साह उर्फ संजय कुमार साह 5. रविश साह उर्फ रविश कुमार 6. दयानंद साह 7. रणवीर साह उर्फ रणवीर कुमार 8. प्रदीप साह उर्फ प्रदीप कुमार 9. साधू साह उर्फ साधन कुमार 10. भरत साह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत कुमार यादव ने निवेदन किया कि उनके उपर कलावती देवी की मृत्यु के उपरांत हुए आक्रोश के कारण सड़क जाम कर विधि व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का सामान्य आरोप है। डकैती करने का आरोप मामले को गंभीर बनाने के उद्धेश्य से लगाया गया है इसलिये अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन का लाभ प्रदान किया जाये।

अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि वर्तमान वाद सूचक धर्मेन्द्र कुमार के द्वारा सिमरी बख्तियारपुर थानाध्यक्ष को दिये गये टंकित आवेदन से प्रारंभ हुआ जिस मे उनके द्वारा कथन किया गया कि उनके पड़ोसी जितेन्द्र कुमार

श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सहरसा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–651/2026

लगातार

09.06.2026

की पत्नी कलावती देवी के मृत्यु का आरोप इनके एवं इनके परिवार पर लगाकर उपरोक्त नामित सभी अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तगण इनके घर पर ईंट एवं पत्थर से रोड़ोबाजी करते हुए इनके घर में घूस गये तथा इनकी पत्नी और छोटे भाई की पत्नी का सोने का झुमका कीमत करीब 70,000/– रूपये,सोने की बाली कीमत करीब 35,000/– रूपया, साना का मंगलसूत्र कीमत करीब 1,20,000/– रूपया, सोना का चेन कीमत करीब 2,50,000 रूपया, हाथ का सोने का कीमत करीब 3,00,000/– रूपया, मांगटिक्का सोने का कीमत करीब 1,40,000/– रूपया, अंगूठी सोने का कीमत करीब 25,000/– रूपया, पायल चांदी का कीमत करीब 10,000/– रूपया लूट लिया। जब ये लोग भागना चाहे तो अभियुक्तगण सूचक एवं इनके परिवार के लोगों को भाला, फरसा, गड़ासा, फट्ठा आदि से मारकर बूरी तरह जख्मी कर दिये और इसके बाद वे सब लोग सड़क जाम कर मारपीट किये। जब पुलिस आयी तो इन लोगों की जान बची। आवेदक अभियुक्तगण के उपर पड़ोसी के घर में नजायज मजमा बनाकर बलपूर्वक प्रवेश कर सूचक एवं उनके परिवार के उपर घातक हथियार से प्रहार कर उनके घर से विभिन्न प्रकार के जेवरात लूटने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप है। इसके साथ ही सडक जाम कर विधि व्यवस्था को अव्यवस्थित कर आम जनता के आवागमन में बाधा पहुँचाने का स्पष्ट आरोप है। इस तरह आरोप की गंभीरता को देखते हुए इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिये इनका अग्रिम जमानत न्यायहित में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम